प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.02.2026

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 14/15.02.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस अपराधिक घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास अंडर पास के पास चेकिंग कर रहे थे तभी एक पल्सर बाइक पर सवार दो व्यक्ति लिंक रोड की तरफ से आते दिखाई दिए जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करके भागने लगे पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी जिन्हें घायल अवस्था जिसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया जा रहा हैं तथा दूसरे को गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

पूछताछ का विवरण

पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम रोहित पांचाल पुत्र हरि पांचाल निवासी थाना 4949/22A न्यू मॉडल शाहदरा थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली को घायल अवस्था में तथा दूसरे ने अपना नाम निखिल सागर उर्फ नीशू पुत्र नरेश कुमार निवासी A 4649/195/A न्यू मॉडल शाहदरा गली नि 12 थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली बताया जिनमें रोहित पांचाल के ऊपर विरुद्ध एनसीआर क्षेत्र में पहले से ही लूट व चोरी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है। इनके द्वारा 19.01.2026 को चौकी राजेन्द्र नगर क्षेत्र में तथा चौकी शनि चौकी क्षेत्र में दिनाँक 21.01.2026 को फोन छीनने की घटना करना स्वीकार किया।

बरामदगी का विवरण

02 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. रोहित पांचाल पुत्र हरि पांचाल निवासी 4649/22A न्यू मॉडल शाहदरा दिल्ली
2. निखिल सागर पुत्र नरेश कुमार निवासी 4649/195A गली no 12 न्यू मॉडल शाहदरा दिल्ली

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी लूट स्नेचिंग आदि से संबंधित आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये पीली धातु के जेवरात बरामद।

दिनांक 14.02.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी विनय प्रताप सिंह निवासी हरमुखपुरी मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गयी कि वादी के घर में काम करने वाली महिला स्वाति निवासी विजयनगर थाना

मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद के द्वारा वादी के घर से जेवरात चोरी कर लेना। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 306 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुटस के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाली अभियुक्ता स्वाति पत्नी अमित शर्मा निवासी विजयनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किये आभूषणों की बरामद की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्ता से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं विनय प्रताप सिंह जो हरमुखपुरी के रहने वाले है इनके यहां करीब पिछले 08 वर्षों से झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था जिसको अदा करने का कोई भी रास्ता नही दिख रहा था। हमारे मालिक की माता जी का कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया था इस बीच घर में काफी व्यस्तता थी मौका पाकर धीरे धीरे मैंने अपने मालिक के घर से जेवरात चोरी कर लिए थे।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

स्वाति पत्नी अमित शर्मा निवासी विजयनगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी किया हुआ 01 गले का सेट, कान के झुमके 02 जोड़ी, 01 मंगलसूत्र पेंडेंट के साथ, 01 चेन पेंडेंट के साथ, 01 सोने की चेन, कान के टाप्स 01 जोड़ी, 01 पेंडेंट, 02 अंगूठी आदि बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.02.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करना अभद्रता करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा **75(2)/76बीएनएस व 9एम/10 पोक्सो एक्ट** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15-02-2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष को थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि वादी और मैं एक ही गांव के रहने वाले है तथा एक-दूसरे के घर आना जाना था, मैंने कुछ दिन पहले उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ व अभद्रता कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

आज दिनांक 15.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा .315 बोर व 02 कारतूस के साथ अभियुक्त मोहित पुत्र कवरपाल निवासी गाँव देदूपुर थाना मवाना जिला मेरठ, उम्र करीब 30 वर्ष को हिरासत में लिया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर धारा 352/351(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने ये तमंचा अपना रौब दिखाने के लिए अपने पास रखा हुआ था। मेरा पडोसी से झगडा हो गया था, जिसमें मैंने डराने के उद्देश्य से उसके ऊपर तान दिया था। यह तमंचा मैंने अपने साथी विश्वास उर्फ गुड्डू पुत्र राजकुमार निवासी फलावदा, मेरठ से खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र कवरपाल निवासी गाँव देदूपुर थाना मवाना जिला मेरठ, उम्र करीब 30 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

विश्वास उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी गगसोना थाना फलावदा जिला मेरठ

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध स्मैक की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 105 ग्राम नाजायज स्मैक, 21 पैकेट पैकिंग पन्नी व रुपये 1400/- नकद बरामद ।

दिनांक 14.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर स्मैक की तस्करी करने वाला अभियुक्त शादाब पुत्र सगीर निवासी जगतपुरी, निवाडी रोड़, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को बुदाना रोड़ होस्टो सिटी के पास खाली प्लाटिंग चौकी क्षेत्र निवाड़ी रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 105 ग्राम नाजायज स्मैक व 21 पैकेट पैकिंग पन्नी व रुपये 1400/- नकद बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह रुपये मैंने स्मैक बिक्री करके अर्जित किये हैं। स्मैक के खरीदने के बारे में पूछने पर बताया कि मैं यह स्मैक मेरठ से लाता हूँ, जिससे लाता हूँ उसका नाम पता मालूम नहीं है। आज भी यह पैकेट मेरठ से ही खरीद कर लाया था जिसमें से कुछ मैंने बेच दिया था तथा बाकी का आपने पकड लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शादाब पुत्र सगीर निवासी जगतपुरी, निवाडी रोड़, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

105 ग्राम नाजायज स्मैक व 21 पैकेट पैकिंग पन्नी व रुपये 1400/- नकद बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दो पक्षों में पथराव व मारपीट के सम्बन्ध में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 15.02.2026 को दो पक्षों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर एक दूसरे की जान को जोखिम में डालकर एक दूसरे के ऊपर लाठी-डण्डो व ईट-पत्थर से हमला करने, एक दूसरे के साथ मारपीट करने, गाली गलौज व बलवा करने के संबंध में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरूद्ध तत्काल धारा 191(2)/352/115(2)/351(3)/125 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. फजल मौहम्मद उर्फ भुट्टू पुत्र रियासत 2. सलीम पुत्र भूरे 3. अतीक पुत्र भूरे 4. तालिब पुत्र मुस्लिम 5. रिजवान पुत्र इस्लाम 6. जाबिर पुत्र ताहिर समस्त निवासी गण ग्राम नहाली थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद को थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आपस में कहा सुनी हो गयी, इसी बात को लेकर आज दिनांक 15.02.2026 को दोनों पक्ष इकट्ठा होकर आपस में एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से एक दूसरे को लाठी, डण्डों व ईट-पत्थर लेकर मारपीट की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. फजल मौहम्मद उर्फ भुट्टू पुत्र रियासत 2. सलीम पुत्र भूरे 3. अतीक पुत्र भूरे 4. तालिब पुत्र मुस्लिम 5. रिजवान पुत्र इस्लाम 6. जाबिर पुत्र ताहिर समस्त निवासी गण ग्राम नहाली थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।